श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–
विशेष न्यायाधीश अनु.जाति / जनजाति(अत्याचार निवारण)अधि.सहरसा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–460 / 2026
बख्तियारपुर(कनरिया)थाना कांड संख्या–281 / 2015

धारा–341,323,379,504,506 / 34 भा.द.वि. एवं
धारा–3(i)(x) एस.सी / एस.टी.अधि.

1. सुरेश यादव पिता–असर्फी यादव उम्र करीब 47 वर्ष
2. मनीष यादव पिता–स्व.जगदीश यादव उम्र करीब 33 वर्ष
3. विन्दूला देवी उर्फ बिन्दुला कुमारी पुत्री सुरेश यादव उम्र करीब 55 वर्ष
4. अशोक यादव पिता–स्व.सफारी यादव
   साकिन–तिलाठी टोला, वार्ड नं.08,
   थाना–बख्तियारपुर (कनरिया), जिला–सहरसा .....आवेदकगण

बनाम

1. बिहार सरकार .....विपक्षी

23.04.2026

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री सुद्धेश कुमार सिंह ने यह कथन किया कि इस वाद में पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–340 / 2025 दायर किया था जिसे सुनवाई के पश्चात इस न्यायालय के द्वारा पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया गया। अब परिस्थिति में परिवर्तन हो गया है। क्योंकि आवेदकगण ने पुलिस के समक्ष धारा–41(1) द.प्र.स.का लाभ देने के लिए प्रार्थना किया जिसे पुलिस के द्वारा नहीं दिया गया। इसलिए यह पुनः अग्रिम जमानत में आये हैं।

अभियोजन के द्वारा इसका विरोध किया गया, तत्पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक–18.06.2025 के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–340 / 2025 में उभय पक्षों को सुनने एवं पर्याप्त अवसर देने के पश्चात तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी ने अभियुक्तगण 1. बिन्दुल कुमारी, 2. गंगिया देवी, 3. सुरेश यादव, 4. अशोक यादव एवं 5. मनीष यादव के अग्रिम जमानत को पोषणीयता के आधार पर खारिज किया था। आवेदक के द्वारा अपने जमानत आवेदन में कोई नए आधार का वर्णन नहीं किया है और मौखिक रूप से उसने जो कथन किया है वह अग्रिम जमानत का आधार नहीं हो

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–340 / 2025

बख्तियारपुर(कनरिया)थाना कांड संख्या–281 / 2015

–लगातार–
23.04.2026

सकता है। एक ही वाद में जब पूर्व में अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज की जा चुकी है तो उसपर पुनः बिना कोई तथ्यात्मक आधार के सुनवाई करके गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदकगण के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीयता के आधार पर खारिज किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश